राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्याः— 85 / प्रा0पत्र / 2023 दायरा दिनांक :— 14.06.2023

GCMS ID—2023 / 126

1. प्रहलाद पिता लक्ष्मण जाति मीणा निवासी स्वरूपगढ़ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज. मृतक कायम मुकामः—

1 / 1. भंवरलाल पिता प्रहलाद जाति मीणा निवासी स्वरूपगढ

1 / 2. मुकेश पिता प्रहलाद जाति मीणा निवासी स्वरूपगढ

1 / 3. मीरा बाई पुत्री प्रहलाद जाति मीणा निवासी स्वरूपगढ

1 / 4. कैलाशी बाई पत्नी प्रहलाद जाति मीणा निवासी स्वरूपगढ़

प्रार्थीगण

बनाम

1. बहादुरसिंह पिता डालुराम जाति मीणा निवासी स्वरूपगढ
2. जमना पुत्री डालू जाति मीणा निवासी स्वरूपगढ
3. गीता पुत्री डालू बादाम पुत्री डालू जाति मीणा निवासी स्वरूपगढ
4. बरधी बाई पत्नी डालू जाति मीणा निवासी स्वरूपगढ
5. राजूलाल पिता मधूरालाल जाति मीणा निवासी स्वरूपगढ
6. उदयसिंह पिता मधूरालाल जातियान मीणा निवासीगण पाडलिया तहसील केकडी जिला अजमेर राज.
7. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :— राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) के तहत

वकील प्रार्थी :— श्री चन्द्रप्रकाश जैन।

वकील अप्रार्थी 1 लगायत 7 :— जवाब बन्द।

दिनांक :— 27 / 02 / 2026

आदेश

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी के स्वामित्व व खातेदारी अधिकार की कृषि भूमियों ख०स० 814 / 335 रकबा 0.3642 वाके ग्राम स्वरूपगढ़ पटवार हल्का रोशन्दा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित प्रार्थी के खेत के दक्षिण ओर खसरा संख्या 786 / 335 वाके ग्राम स्वरूपगढ़ जिसके खातेदार अप्रार्थी कम 6 व 7 है एवं उससे दक्षिणी ओर ख०स० 789 / 335 वाके ग्राम स्वरूपगढ जिसके खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 है। उक्त खेत के दक्षिणी ओर सिवायचक भूमि है फिर रोशन्दा का आम रास्ता है। प्रार्थी अपने खेत से हमेशा से ख०स० 786 / 335 एवं, ख०स० 789 / 35 की मेरु पर होते हुए सिवायचक भूमि में होकॅर रास्ते में पहुँचता आ रहा है और उक्त रास्ते से ही अपने खेत पर आना जाना, गाडी सैस ट्रोली' ट्रेक्टर लाना ले

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

जाना करता चला आ रहा है और इस प्रकार अपने खेत में कृषि कार्य करता हुआ चला आ रहा है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के खेत पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से निवेदन किया लेकिन वह आनाकानी करने लग गये और आने जाने पर रोक लगाने की धमकी देने लग गये। अंतिम बार आज से एक सप्ताह पूर्व रास्ते पर जाने से मना किया, यही वाद कारण है। प्रार्थी को अपने खेत पर आने जाने के लिए उक्त खसरा नम्बर 786/335, 789/335, 335 में से 12 फुट चौड़ा रास्ता घोषित करवाने का व रिकॉर्ड में अमल करवाने का अधिकारी है इसमें जो भी भूमि अप्रार्थीगण की रास्ते में जायेगी उसके नियमानुसार जो भी राशि बनती हो उसे देने को तैयार है। भूमियों श्रीमान् के क्षेत्राधिकार में स्थित है। अत श्रीमान् को उक्त प्रकरण को सुनने का अधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र उचित कोर्ट फीस व तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 के दक्षिणी ओर स्थित खसरा संख्या 786/335 एवं 789/335 एवं 335 में 12 फुट चौड़ा रास्ता घोषित किया जावे, राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते के रूप में अमल फरमाया जावे एवं नियमानुसार जो भी शुल्क बनता हो उसे प्रार्थी को जमा कराने के लिए आज्ञा प्रदान करे। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी सुलभ हो प्रार्थी को अप्रार्थीगण से दिलायी जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने पर भी जवाब पेश नहीं किए जाने से जवाब बन्द किया गया। अप्रार्थी संख्या 8 की ओर से तहसीलदार हिण्डोली की ओर से पत्रांक :–राजस्व/25/221 दिनांक :–28.02.2024 से प्रस्तावित रास्ते के बाबत जॉच रिपोर्ट पेश की जो शामिल मिसल है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी जाकर बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर मनन किया। वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस कहा कि प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 814/335 जो कि वाके ग्राम स्वरूपगढ पटवार मण्डल रोशन्दा में स्थित है, पर आने जाने हेतु भूमि खसरा संख्या 786/335 जो कि अप्रार्थी संख्या 6 व 7 की खातेदारी भूमि है व भूमि खसरा संख्या 335 जो कि राजकीय सिवायचक भूमि में से होते हुए 12 फुट चौडा रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में घोषित किया जावे। इस बाबत तहसीलदार हिण्डोली द्वारा जो प्रस्तावित रास्ता बताया गया है, उसकी घोषणा की जावे। प्रार्थीगण इस बाबत निर्धारित प्रतिकर राशि जमा कराने को तैयार है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण मे तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में प्रार्थीगण को अपनी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु खसरा संख्या 786/335 खातेदारी भूमि व खसरा संख्या 335 सिवायचक भूमि में से 12 फिट चौडा रास्ता प्रस्तावित किया गया है। उक्त प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगण की भूमि में आने जाने हेतु निकटतम व सुगम है। प्रार्थीगण को चाहे गये रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है।

—: क्रियात्मक आदेश :—

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि खाता संख्या 58 के खसरा संख्या 814/335 वाके ग्राम स्वरूपगढ प0म0 रोशन्दा में आने—जाने हेतु तहसीलदार हिण्डोली से प्राप्त प्रस्तावित रास्ते की रिपोर्ट अनुसार ग्राम स्वरूपगढ प0म0 रोशन्दा के खसरा संख्या 335 राजकीय सिवायचक में से रास्ते में कुल 0.0883 है0 व खसरा संख्या 786/335 (खातेदार—उदयसिंह, राजूलाल पिता मथुरालाल मीणा) में से रास्ते में कुल 0.0455 हैक्टेयर भूमि काम में आवेगी। प्रस्तावित नक्शे अनुसार रास्ता घोषित किया जाता है। प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमियों की डी0एल0सी0 राशि की गणना तहसीलदार हिण्डोली द्वारा कर सम्बन्धित प्रार्थीगण से डी0एल0सी0 राशि की दुगनी प्रतिकर राशि निर्धारित मद/राजकोष/खातेदार हिस्से अनुसार डी0डी0 बनवाकर/जमा करवाकर चालान/डी0डी0 की प्रति न्यायालय में पेश करें। प्रतिकर जमा होने के उपरान्त निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक :— 27.02.2026 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

27/02/2026

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446